न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 267 / 2018

उनवान

1. श्रीमती हमीदा बेवा अलादीन उर्फ अलाऊदीन छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. अलानुर पिता अलादीन उर्फ अलाऊदीन छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
3. अब्दुल कदीर पिता अलादीन उर्फ अलाऊदीन छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. अब्दुल लतीफ पिता अलादीन उर्फ अलाऊदीन छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. जमील मोहम्मद पिता अलादीन उर्फ अलाऊदीन छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
6. जाकिर पिता अलादीन उर्फ अलाऊदीन छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
7. सरफराज पिता अलादीन उर्फ अलाऊदीन छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. मौलाबक्ष पुत्र वजीर मोहम्मद शेख छडीदार मुसलमान निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के
प्रकरण संख्या 196 / 2015 निर्णय दिनांक 30.5.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री गोपाल अजमेरा , अधिवक्ता अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2.श्री एस एल वैद ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी /प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा प्रार्थी की मौजा माण्डल में आराजी नम्बर 5224 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 5225 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। जिसमें आने–जाने ट्रेक्टर , बैलगाडी लाने–ले जाने का एकमात्र रास्ता मौजा माण्डल तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 5238 की पश्चिमी सीमा पर 15 फीट चौडाई का रास्ता विद्यमान है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में व नक्शे में रास्ता नहीं दर्शाया गया है। इस रास्ते का प्रार्थी अपने बाप–दादाओं के वक्त से उपयोग उपभोग करता आ रहा है। इसके सिवाय अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की आराजी पर जाने का उपलब्ध नहीं है। यही अत्यन्तावश्यकता का रास्ता है। अतः विपक्षीगण की मौजा माण्डल स्थित आराजी नम्बर 5238 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा की पश्चिमी सीमा पर राजस्व रेकार्ड में 15 फीट चौडाई का रास्ता कायम कर अभिलिखत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त नोटिस जारी किये गये। अपीलाण्ट/विपक्षी की ओर से दिनांक 23.2.2017 को जरिये अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। प्रकरण में जवाब दिया गया उसके उपरान्त मौका रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु दिनांक 9.11.2017 को निर्देशित किया गया। जिसकी मौका रिपोर्ट प्राप्त होने संबंधित उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 8.3.2018 में किया गया । उसकेउपरान्त दिनांक 12.4.2018 पेशी नियत की गई। दिनांक 12.4.2018 को पीठासीन अधिकारी नहीं होने से दिनांक 26.4.2018 की पेशी नियत की गई। उस रोज दिनांक 12.7.2018 की पेशी अपीलाण्ट को बताई गई। जो पेशी रजिस्टर में दर्ज है। लेकिन इस मध्य ही पत्रावली कोदिनांक 30.5.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प माण्डल में अपीलाण्ट को सूचित किये बिना ही रख्वाी जाकर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया जबकि इसकी कोई सूचना अपीलाण्ट या उनके अधिवक्ता को नहीं दी गई। अपीलाण्ट को नियत की गई तारीख पेशी दिनांक 12.7.2018 को न्यायालय में उपस्थित होने पर जानकारी हुई कि प्रकरण का निर्णय दिनांक 30.5.2018 को कर दिया गया। इस प्रकार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एवं जवाब प्रस्तुत हुए बिना ही एकपक्षीय तौर पर मनमकसूद ढंग से पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा पर्चा मौका अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बनाया गया है। नियमानुसार भू अभिलेख निरीक्षक से नीचे के पद वाले कर्मचारी द्वारा धारा 251 ए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के प्रयोजनार्थ मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है। जबकि उक्त मामले में पटवारी हल्का ने अकेले ही पर्चा मौका तैयार किया है। जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर अपीलार्थी का अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

6. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था। प्रत्यर्थी की आराजी पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट में भी प्रत्यर्थी/वादी की आराजी पर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 5.6.2015 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं विपक्षी को नोटिस जारी किया गया । उसके उपरान्त 5 पेशियों (दिनांक 29.5.2016) तक प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 10.112016 को विपक्षीगण की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जवाब आइन्दा देना चाहते हैं का अंकन कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.2.2017 नियत की गई। उसके उपरान्त दिनांक 9.11.2017 को अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट उभयपक्षों की उपस्थिति में बनाई जाकर मंगवाई जावे। जिस पर उभयपक्ष सहमत थे। दिनांक 8.3. 2018 तक तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 12.4.2018 को पीठासीन अधिकारी बाहर होने से प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.4.2018 नियत की गई। दिनांक 26.4.2018 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं पत्रावली को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प माण्डल में दिनांक 30.5.2018 को रखी गई एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया ।

8. दिनांक 30.5.2018 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प माण्डल में रखे जाने बाबत पक्षकारान को नोटिस द्वारा सूचित नहीं किया गया । जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत पक्षकारान को नोटिस भिजवाकर सूचित करवाते।

9. पटवारी हल्का द्वारा जो पर्चा मौका दिनांक 8.2.2018 को तैयार किया गया वह पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार नहीं किया गया है एवं न ही कोई मौतबिर के ही दस्तखत मौका पर्चा पर है। ऐसी स्थिति में मौके पर यदि कोई वैकल्पिक रास्ता है या नहीं इस बाबत पक्षकार द्वारा जानकारी नहीं हो सकी । चूकि प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वे अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं। जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

10. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयदिनांक 30.5.2018 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर गुणावगुण पर अज सिरे नो निर्णय पारित करें । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.1.19 को उपस्थित रहें।

11. निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

28/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ भीलवाड़ा (राज.)